



रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति

रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, रामागुंडम संयंत्र कर्मचारियों के साथ-साथ कारखाने परिसर के आसपास रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता किए बिना सभी गतिविधियों को समाज और प्रकृति के साथ सद्भाव से संचालित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम, सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने और सुरक्षा से संबंधित वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कारखाने में एक स्वतंत्र सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण विभाग स्थापित किया गया है।

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रणाली में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए गए हैं।

1. सभी संबंधित विभाग/अनुभागीय प्रमुख वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने और संयंत्र, आदमी, मशीनरी और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
2. प्रत्येक कर्मचारी को कारखाने के अंदर रखरखाव कार्य करते समय सुरक्षित कार्य प्रणाली का पालन करना होगा और उचित सुरक्षा कार्य परमिट प्रणाली का पालन करना होगा।
3. श्रमिकों को सुझाव योजनाओं, गुड हाउसकीपिंग प्रतियोगिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और अग्निशमन सेवा दिवस के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की निगरानी और सुधार के लिए श्रमिकों और प्रबंधन के उचित प्रतिनिधित्व के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा।
5. कर्मचारियों की सुरक्षा जागरूकता का मूल्यांकन उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट में किया जाएगा।
6. किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए आरएफसीएल परिसर में प्रवेश करने वाले सभी ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य एजेंसियों को कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा। यह उनके अनुबंध/कार्य आदेश का भी हिस्सा होगा।
7. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदर्शन को उचित रूप से शामिल किया जाएगा।
8. सुरक्षा ऑडिट और जोखिम विश्लेषण नियमित अंतराल पर किया जाएगा और ऑडिट टीम की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
9. संयंत्र और उपकरण/मशीनरी की खरीदी के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।
10. सभी कर्मचारियों का मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाएगी।
11. सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों में निरंतर सुधार और विकास के लिए सुरक्षा साहित्य, निर्देशों और मीडिया के अन्य विभिन्न रूपों के माध्यम से उचित जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करके कारखाना कर्मचारियों के बीच सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आलोक सिंघल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 10.01.2024